(2)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटिशन सं0– 99/2020–21

विष्णु राणा .....आवेदक

बनाम्

सरकार ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

09/03 /2021 यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0– 99/2020–21 माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के डब्लू.पी.(सी.) नं0– 64/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2020 के आलोक में प्रारंभ किया गया है। आवेदक एवं अंचल अधिकारी तथा मौजा के प्रधान को सूचना निर्गत किया गया।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को मौजा नकटी नं0 19 जमाबंदी सं0 36 के अन्तर्गत दाग सं0 245 में वर्ष 2003 को दो बीघा जमींन की बन्दोबस्ती पट्टा द्वारा प्राप्त हुआ था। विषयगत जमींन से आवेदक को उच्छेद किया गया तथा होम गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर बनाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0 339/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2009 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय आयुक्त के सचिव, सं0प0प्र0, दुमका के पत्रांक 712/रा0 दिनांक 30.12.2003 से हस्तान्तरण रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केन्द्र को मौजा नकटी में दाग सं0 232, 245, 261 एवं 274 क्रमशः 0.68, 10.50, 0.30 एवं 2.78 एकड़ कुल 14.26 एकड़ जमींन हस्तान्तरित की जा चुकी है। इसी हस्तान्तरित दाग सं0 245 की जमींन प्रधान द्वारा रैयतों को बन्दोबस्ती किया गया था। जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा

(3)

सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 33 के अन्तर्गत रद्द किया गया किन्तु इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के साथ प्रधान से सम्पर्क स्थापित कर जमाबन्दी 36 के दाग सं0 245 में प्रधान द्वारा निर्गत किये गये पट्टा के बदले अन्य जमींन उपलब्ध करा दें। इस आदेश के आलोक में आवेदक को पट्टा द्वारा जमींन की बन्दोबस्ती की गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कई लोगों का बन्दोबस्ती पट्टा पी0ए0 वाद सं0 197/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2010 द्वारा सम्पुष्ट किया गया किन्तु आवेदक एवं अन्य कुछ लोगों को बन्दोबस्ती जमींन को सम्पुष्ट नहीं किया गया चुँकि इन लोगों को मिली बन्दोबस्ती जमींन जंगल–झाड़ी एवं गोचर बोलकर खतियान में दर्ज है। आवेदक द्वारा इसके बदले में अन्य जमींन की बन्दोबस्ती हेतु कई आवेदन सक्षम पदाधिकारियों को दिया किन्तु इसपर कार्रवाई नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में मामला दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ जमींन बन्दोबस्ती की कार्रवाई हेतु इस न्यायालय को आदेशित किया गया। इसी आधार पर यह मामला प्रारंभ की गई है।

अंचल अधिकारी, दुमका का प्रतिवेदन पत्रांक 147/रा0 दिनांक 06.03.2021 द्वारा न्यायालय को समर्पित है, में उल्लेख है कि आवेदक के हिस्से में मौजा के नकटी के जमाबंदी सं0 15 में 01 एकड़ 41 डीसमल जमींन है। उनके द्वारा मौजा बांसकनाली में 03 कठ्ठा आवेदक द्वारा स्वअर्जित जमींन है। उसमें आवेदक ईंट का दीवार, एस्बेस्टस से अच्छादित चार कमरों से भी अधिक कमरा है। आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है।

आवेदक का कहना है कि वह भूमिहीन है के श्रेणी में आते है। उनको दिया गया जमींन गोचर है। अतः उन्हें अन्य जमींन मिलना चाहिए।

(4)

इस प्रकार उभयपक्षों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक को जमींन से उच्छेद कर होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, इसके बदले में दिया गया जमींन खतियान के अनुसार झांटी–जंगल एवं गोचर है, जिसकी बन्दोबस्ती की सम्पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। ऐसी स्थिति में उनके साथ की गई बन्दोबस्ती जमींन से सं०प० काश्तकारी अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत रद्द किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके साथ जमींन बन्दोबस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

DMS. 17 दि० 24/3/2021

उपायुक्त
दुमका। 09/3/2021

उपायुक्त
दुमका। 09/3/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:37:38 +05:30
Location: 169.254.227.244